

निर्णय ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या : 66/2022 (धारा 14 सिक्वोरिटार्इजेशन)
घोला मण्डलम इनवेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय-डेयर हाउस, प्रथम तल
नम्बर 2, एन.एस.सी. बॉस रोड, पैरीज चैम्बर्स 600001 शाखा कार्यालय प्लॉट नम्बर 10-ए, द्वितीय तल
संजवल आर्केड, अपोजिट पंजाब नैशनल बैंक बिल्डिंग नम्बर 88, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला जयपुर जरायि
प्राधिकृत अधिकारी श्री गौरव मिश्रा।

प्राथी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री हीरा लाल पिगोलिया पुत्र श्री भूरा राम पिगोलिया
2. श्रीमती उर्मिला पिगोलिया
3. मैसर्स दुल्हा कलैवशन
पता :- सी-328, महेश नगर, लाल कोठी, गांधी नगर, जयपुर।

अप्राथीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित:- श्री भवानी सिंह नरूका अधिवक्ता प्राथी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 24.02.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्राथी वित्तीय संस्था ने अप्राथी ऋणी को दिनांक 16.03.2021 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्राथी हीरालाल पिगोलिया के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर सी-328 महेश नगर, टोक फाटक जयपुर का पश्चिम-दक्षिण भाग जिसमें भू-तल (घाउण्ड पलोर) का हिस्सा क्षेत्रफल 1942 वर्गफिट एवं 253.75 वर्गफिट है एवं द्वितीय तल का हिस्सा जिसका क्षेत्रफल 1225 वर्गफिट को बन्धक रख कर कुल राशि 64,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्राथी ऋणी द्वारा प्राथी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्राथी ऋणी को दिनांक 19.11.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मग ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्राथी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्राथी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्राथीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्राथी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 5 अगस्त 2016 के क्रम संख्या 3 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 64,00,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय व्याज कुल राशि 66,68,909/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 19.11.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
6. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी हीरालाल पिंगोलिया के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर सी-328 महेश नगर, टॉक फाटक जयपुर का पश्चिम-दक्षिण भाग जिसमें भू-तल (ग्राउण्ड फ्लोर) का हिस्सा क्षेत्रफल 1942 वर्गफिट एवं 253.75 वर्गफिट है एवं द्वितीय तल का हिस्सा जिसका क्षेत्रफल 1225 वर्गफिट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्वन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संवन्धित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संवन्धित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल हो।



आदेश आज दिनांक 24.02.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(Signature)
(राजन विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर